न्यायालय - न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर, राज०

पीठासीन अधिकारी :– **सुमन मीणा, आर०जे०एस०**

निय.फौज. प्रकरण संख्या :– **58/2022**

सी०आई०एस० नम्बर :– **525/2021**

प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० :– **34/2019-20, थाना आबकारी, धौलपुर।**

राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी

----अभियोगी

बनाम

चरनसिंह पुत्र श्री गिरन सिंह, उम्र 38 वर्ष, निवासी आदर्श नगर, पुलिस थाना सदर, धौलपुर, जिला धौलपुर।

----अभियुक्त

उपस्थितः-

01. **राज्य की ओर से**	- विद्वान सहायक लोक अभियोजन अधिकारी।
02. **अभियुक्त की ओर से**	- विद्वान अधिवक्ता श्री महेश मुद्गल।

अपराध की दिनांक	08.03.2020	**साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि**	04.03.2021
प्र.सू.रि. की दिनांक	08.03.2020	**बहस अंतिम की दिनांक**	06.03.2026
आरोप-पत्र पेश करने की दिनांक	04.03.2021	**निर्णय की दिनांक**	11.03.2026
आरोप विरचित करने की दिनांक	04.03.2021	**दण्डादेश की दिनांक (यदि हो तो)**	-

फार्म "बी"

अभियुक्त का विवरणः-

क्र. सं.	**अभियुक्त का नाम**	**गिरफ्तारी की दिनांक**	**जमानत की दिनांक**	**अपराध धारा**	**दोषमुक्त या दोषसिद्ध**
1.	चरनसिंह	08.02.2021	02.03.2021	16/54 आब.अधि.	दोषमुक्त

"Authenticate Document"

फार्म "सी"

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय के साक्षीगण की सूचीः-

(अ) अभियोजन साक्षीः-

क्र.सं.	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
1.	शीला देवी	नक्शा मौका व तस्दीकर्ता साक्षी
2.	चौबसिंह	चश्मदीद साक्षी व धारा 161 सी.आर.पी.सी. साक्षी
3.	श्रीमती रमादेवी	चश्मदीद साक्षी व धारा 161 सी.आर.पी.सी. साक्षी

(ब) प्रतिरक्षा साक्षीः- निल।

(स) न्यायालय साक्षीः- निल।

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय के दस्तावेजात की सूचीः-

(अ) अभियोजन दस्तावेजातः-

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
1.	प्रदर्श पी.01	नक्शा मौका
2.	प्रदर्श पी.02	बयान धारा 161 सी.आर.पी.सी. गवाह शीला देवी
3.	प्रदर्श पी.03	फर्द जप्ती
4.	प्रदर्श पी.04	फर्द गिरफ्तारी

(ब) प्रतिरक्षा दस्तावेजातः- निल।

(स) न्यायालय दस्तावेजातः- निल।

(द) आर्टिकल की सूचीः- निल।

अपराध अन्तर्गत धारा 16/54 आबकारी अधिनियम।

-- निर्णय --

दिनांकः- 11.03.2026

1. यह प्रकरण श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, धौलपुर के आदेश क्रमांक 212 दिनांकित 20.12.2021 के द्वारा अंतरित होकर वास्ते निस्तारण हेतु इस न्यायालय को वास्ते निस्तारण इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 08.03.2020 को दौराने विशेष आबकारी अभियान मय वाहन ईपीफ जाप्ता आडैला रोड गस्त करने के दौरान मुखबीर की गुप्त सूचना मिली कि चरन सिंह पुत्र गिरन सिंह, निवासी आदर्श नगर पीएस सदर धौलपुर अपने रिहायशी मकान में अवैध हथकड शराब का बेचान करता है, जिस सूचना से जाप्ते से अवगत कराकर मौके पर पर्चा 47 कायम कर रिहायशी मकान चरनसिंह पर पहुंचे, जहां मौके पर चरनसिंह नहीं मिला।

"Authenticate Document"

रिहायशी मकान चरन सिंह से एक प्लास्टिक की कैनी में भरी करीब 5 लीटर नाजायज हथकड शराब बरामद। मौके पर एक पव्वा सैंपल रासायनिक परीक्षण हेतु निकाला जाकर शेष शराब प्लास्टिक केंटी में ही बतौर वजह सबूत रहने दिया जाकर पव्वा सैंपल शरबा व शेष हथकड शराब प्लास्टिक को गवाहान की दस्तखती चिट्टों से मौके पर ही सील मौहर किया.....इत्यादि। उक्त तथ्यों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 34/2019-20 अपराध अन्तर्गत 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम पुलिस थाना आबकारी में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त चरनसिंह के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. साक्ष्य अभियोजन में 03 गवाहों का परिक्षित करवाया एवं प्रलेखीय साक्ष्य में कुल 04 दस्तावेजों को पेश कर प्रदर्शित करवाया।

5. अभियुक्त के विरुद्ध पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अवगत कराते हुए उसके बयान मुलजिम अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. लेखबद्ध किए, जिसमें सभी गवाहान की साक्ष्य को झूंठा होने के आधार पर गलत होना बताया और साक्ष्य सफाई प्रस्तुत करने से इंकार किया।

6. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस सहायक अभियोजन अधिकारी ने कथन किया कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे प्रमाणित होता है इसलिए अभियुक्त को आरोपित अपराध में अधिक से अधिक सजा से दंडित किये जाने का निवेदन किया।

7. इसके विपरीत विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा कि प्रकरण में कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं है। इसके अतिरिक्त मौके के गवाहों में आपस में विरोधाभास है। अभियोजन अभियुक्त् के विरुद्ध आरोप को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है। अंत में अभियुक्त को आरोपित अपराध के तहत दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया गया।

8. प्रकरण के निस्तारणार्थ न्यायालय को निम्न बिन्दुओं पर विचार करना हैः-

1. **क्या अभियुक्त से दिनांक 08.03.2020 को समय 11.00 एएम के लगभग मकान आदर्श नगर, थाना सदर, धौलपुर में अभियुक्त के रिहायशी मकान में एक प्लास्टिक की कैनी में 05 लीटर अवैध हथकड शराब बरामद हुई, जिसे अपने कब्जे में रखने बाबत कोई वैध अनुज्ञा-पत्र आपके पास नहीं था ?**

2- यदि हॉ तो अभियुक्त को किस सजा से दंडित किया जावे?

"Authenticate Document"

9. विचारणीय बिंदु के समर्थन में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया। जिसमें अभियोजन की ओर से सर्वप्रथम परीक्षित गवाह गवाह पी.डब्ल्यू 01 शीला देवी ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि नक्शा मौका घटना स्थल प्रदर्श पी.01 के पिछले भाग पर ए से बी उसकी रिपोर्ट है और ना ही सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसका पुलिस में कोई बयान नहीं हुआ। **उक्त गवाह पक्षद्रोही हुआ। जिरह एपीओ में** गवाह ने कथन किया कि उसका पुलिस में बयान नहीं हुआ। प्रदर्श पी.02 का ए से बी भाग उसने पुलिस को नहीं दिया। नक्शा मौका प्रदर्श पी.01 के पीछे सी से डी उसके हस्ताक्षर नहीं है और ना ही ई से एफ उसकी मोहर अंकित है।

10. **गवाह पी०ड०02 चौबसिंह** ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 08.03.2020 को वह आबकारी थाना धौलपुर में सिपाही के पद पर कार्यरत था। उस दिन पीओ ब्रजमोहन के साथ संयुक्त रेड गस्त में हाई वे पर गस्त कर रहे थे। जरिये मुखबिर खास पीओ को सूचना मिली कि चरनसिंह पुत्र गिरन सिंह अपने मकान में कच्ची शराब का बेचान करता है। पीओ ब्रजमोहन ने जाप्ते को अवगत करवाकर उसके मकान पर पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद वहां पर इकट्ठी आम जनता को अपना आने की वजह समझा कर स्वतंत्र गबाह बनने का आग्रह किया। सभी के मना करने पर जाप्ते में से उसे व रामा होमगार्ड को गवाह चुन कर स्वयं की जामा तलाशी ले देकर मकान के गेट से चरन सिंह को आवाज लगाई। कोई प्रतिउत्तर नहीं मिलने पर मकान में प्रवेश किया। मकान के बांये कमरे में एक प्लास्टिक जरीकेन नजर आई। उसको खोलकर देखा और सूंघा तो करीब 5 लीटर हथकड शराब बरामद हुयी। उसे दिखाया व सूंघाया, तो उसमे 5 लीटर के लगभग शराब थी। मौके पर पीओ ने एक साफ कांच के पव्वे में रासायनिक जांच वास्ते जरीकेन में से शराब को पव्वा मे भरा। शेष शराब को जरीकेन में रहने दिया जाकर शील मोहर किया। मौके पर कागज बनाये। पढकर सुनाये सही मानने पर हमने अपने अपने हस्ताक्षर किये। मौके पर नमूना शील सैपल व जरीकेन को शील मोहर किया। फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी.04, फर्द जप्ती प्रदर्श पी.03 है जिन दोनों पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व नक्शा मौका प्रदर्श पी.01 जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। **दौराने अधिवक्ता अभियुक्त प्रतिपरीक्षण** में गवाह कथन किया कि हम थाने से करीब सुबह 10 बजे बोलोरो से गये थे। वह बोलोरो का नंबर व ड्राइवर का नाम नहीं बता सकता। वह करीब 11:00 पीएम पर पहुंचे। चरनसिंह से उसकी कोई जानकारी नहीं थी। वह चरनसिंह से कभी नहीं मिला। जिस मकान की वह घटना होना बता रहा है इस घटना से पूर्व मे इस मकान पर कभी नहीं गया। वह मकान चरनसिंह का है इस बात की उसे कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। इस बाबत् वहां उपस्थित लोगों एवं उसके पीओ ने बताया था इसलिए वह बताता है कि वह मकान चरनसिंह का है।

11. गवाह पी.डब्ल्यू 03 श्रीमती रमादेवी ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 08.03.2020 को वह आबकारी थाना, धौलपुर में होमगार्ड के पद पर

"Authenticate Document"

पदस्थापित थी। उस दिन श्री बृजमोहन के साथ मय जप्ता रेड गस्त में गयी थी। रास्ते मे पीओ बृजमोहन को जरिये मुखबिर सूचना मिली थी कि आदर्श नगर में चरनसिंह अपने घर पर हथकड शराब रखता व बेचता है। इस सूचना पर हमरा जाप्ता चरनसिंह के घर पहुंचा। वह मकान सुना था व उस मकान में कोई व्यक्ति नहीं था। पीओ के द्वारा चरनसिंह को आवाज लगाई गयी, तो कोई नहीं बोला। मौके पर उपस्थित लोगों में से कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ, तो उसे एवं चोब सिंह सिपाही को मौतबिर नियुक्त करके पीओ द्वारा मकान की तलाशी ली गयी, तो मकान के अंदर एक जरीकेन मिली, जिसमें करीब 05 लीटर हथकड शराब थी। पीओ द्वारा मौके पर फर्द जप्ती शराब बनायी गयी, जो प्रदर्श पी.03 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। नक्शा मौका बनाया गया जो प्रदर्श पी.01 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मौके पर जरीकेन में से एक नमुना सैपल लिया गया। शेष शराब को जरीकेन में रखते हुए नमुना लिया गया। नमुना एवं जरीकेन को हमारे दस्ताखतों चिटों से शील्ड मोहर किया गया। जरीकेन नमुना को लेकर थाना वापस आये जहां मुकदमा दर्ज करवाया गया। **दौराने अधिवक्ता अभियुक्त प्रतिपरीक्षण** में गवाह कथन किया कि वह थाने से 10:15 एएम पर रवाना हुए थे। हम सरकारी बोलोरो से गये थे। वाहन चालक का नाम उसे ध्यान नहीं है। जिस मकान पर वह पहुंचे, उस मकान का दरवाजा किस दिशा मे था, आज उसे ध्यान नही है। किस प्रकार का गेट लगा हुआ था, आज उसे ध्यान नहीं है। गवाह ने स्वीकार किया कि वह उस मकान पर घटना से पूर्व कभी नहीं गयी। चरनसिंह नाम के व्यक्ति से उसकी कोई जान-पहचान नहीं थी। गवाह ने स्वीकार किया कि वह मकान चरनसिंह का ही हो, इस बात की उसे कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी। मकान का चरनसिंह का होना उसे पीओ साहब द्वारा बताया गया था, इस कारण वह उस मकान को चरन सिह को होना बताती है।

<u>विचारणीय बिंदु संख्या एक के संबंध में -</u>

12. उपरोक्त अवधारणीय बिन्दु को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन की ओर से न्यायालय में मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है। अब यदि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उक्त साक्ष्य का अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध का विवेचन किया जाये, तो विचारणीय बिंदु के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध गवाह पी.ड.02 चौबसिंह द्वारा अपनी साक्ष्य में कथन किया कि दिनांक 08.03.2020 को मुखबिर की सूचना पर चरन सिंह के मकान में करीब 5 लीटर हथकड शराब बरामद होना है एवं गवाह ने आगे बताया कि उसमें पी ओ द्वारा एक साफ कांच के पव्वे में रसायनिक जांच वास्ते जरीकेन में से शराब को पव्वा में भरा तथा शेष शराब को जरीकेन में दिया जाकर शील मौहर किया..इत्यादि। जिरह में गवाह पी.ड.02 चौबसिंह ने कथन किया कि वह चरनसिंह से कभी नहीं मिला, ना ही उसकी उससे कोई जानकारी है। वह मकान चरन सिंह का है इस बाबत् की उसे कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, इस बाबत् वहां उपस्थित लोगों ने एवं पीओ ने बताया था इसलिए वह बताता है कि वह मकान चरनसिंह का है। इसी प्रकार दल

"Authenticate Document"

की सदस्य रही गवाह पी.ड.03 श्रीमती रमादेवी ने अपनी साक्ष्य में गवाह पी.ड.02 चौबसिंह के बयानों को दौहराते हुए मौके से अभियुक्त के रिहायशी मकान से 05 लीटर हथकड शराब जरीकेन में बरामद होना व उसमें में नमुना सैंपल लेकर नमूना सैंपल लेकर शील मोहर करना व शेष शराब को जरीकेन में भरकर सील मोहर करना बताया है। जिरह में भी उक्त गवाह ने कथन किया कि उक्त मकान चरनसिंह का था इस बाबत् उसे कोई जानकारी नहीं थी तथा पी ओ द्वारा बताये जाने पर उक्त मकान चरनसिंह का होना बता रही है।

13. इस प्रकार प्रकरण में जब्तशुदा माल जिस मकान से जब्त होना बताया है, वह मकान अथवा रिहायशी मकान अभियुक्त का है अथवा नहीं है? इस संबंध में उक्त दोनों ही गवाहान की साक्ष्य से स्पष्ट है कि प्रकरण में जब्तशुदा माल जिस स्थान से जप्त होना बताया है, उक्त स्थान अभियुक्त के अनन्य वैध कब्जे का रहा हो इस संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर पेश नहीं है। इसके अतिरिक्त गवाह पी.ड.02 चौबसिंह व पी.ड.03 श्रीमती रमादेवी अपनी साक्ष्य में उक्त मकान अभियुक्त का होना वहां के लोगों व पी ओ के बताने के आधार पर बता रहे है, परंतु मौके पर मौजूद लोगों में से किसी गवाह को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया है, ना ही पीओ न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुआ है तथा अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया है। साथ ही नक्शा मौका की गवाह एवं घटना क्षेत्र की सरपंच गवाह पी.ड.01 शीला देवी अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही हुई है तथा जिरह अभियोजन में प्रदर्श पी.02 का ए से बी भाग पुलिस को देने से इंकार किया एवं नक्शा मौका प्रदर्श पी.01 के पीछे सी से डी भाग उसके हस्ताक्षर होने और ई से एफ उसकी मोहर अंकित होने से स्पष्ट इंकार किया है, जिससे उक्त गवाह ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है। ऐसे में अभियोजन पक्ष प्रकरण में जिस स्थान से माल अभियुक्त के कब्जे से जप्त किया जाना बताया है, उस स्थान पर अनन्य कब्जा अभियुक्त का रहा हो यह अभियोजन पक्ष संदेह से परे साबित नहीं कर सका है तथा ना ही ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश किया है जिससे यह साबित हो कि जिस जगह से वॉश बरामद हुई थी वह अभियुक्त के अनन्य कब्जे की है। साथ ही प्रकरण में जब्तशुदा माल न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुआ है, जिस कारण फर्द जब्ती प्रदर्श पी.03 संदेह से परे साबित नहीं हुई है, जिस कारण अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि अभियुक्त के अनन्य कब्जे के रिहायशी मकान से ही माल बरामद हुआ हो।

14. अतः उपरोक्त विवेचनानुसार एवं प्रकरण में आई साक्ष्य के अवलोकन से अभियोजन यह युक्ति-युक्त साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त से दिनांक 08.03.2020 को समय 11.00 एएम के लगभग मकान आदर्श नगर, थाना सदर, धौलपुर में अभियुक्त के रिहायशी मकान में एक प्लास्टिक की कैनी में 05 लीटर अवैध हथकड शराब बरामद हुई, जिसे अपने कब्जे में रखने बाबत कोई वैध

"Authenticate Document"

अनुज्ञा-पत्र आपके पास नहीं था। अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाकर **दोषमुक्त घोषित** किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

-- <u>आदेश</u> --

15. अतः अभियुक्त **चरनसिंह पुत्र श्री गिरन सिंह, उम्र 38 वर्ष, निवासी आदर्श नगर, पुलिस थाना सदर, धौलपुर, जिला धौलपुर** को आरोपित अपराध अन्तर्गत **16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम** के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर **दोषमुक्त घोषित** किया जाता है। अभियुक्त के न्यायालय में हाजिर आने बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है। अभियुक्त के धारा **437-ए दं.प्र.सं.** के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत जमानत मुचलके अपील होने की सूरत में माननीय अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति बाबत् **6 माह** की अवधि के लिए प्रभावी रहेंगे।

16. प्रकरण में जब्तशुदा माल का बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारण कर दिया जावे।

(सुमन मीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
धौलपुर

17. यह निर्णय आज दिनांक 11.03.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर सुनाया गया।

(सुमन मीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
धौलपुर

"Authenticate Document" Digitally signed by DURGA MAHAWAR